न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम   सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं०   540 सन 2019

अनवान :-

1. सन्दीपसिंह 2 रतनसिंह पि० मदनसिंह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।
2. समोदकवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

3. शिशपालसिंह 4 बलवीरसिंह पि० बिरजूसिंह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 1.7.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के प०न० 329/361(370) के किला न० 20 ,21 प०न० 328/361(371) के किला न० 16 ,25 प०न० 328/362(391) के किला न० 4 से 7 ,14 से 17 ,24 ,25 तथा प०न० 329/362(392) किला न० 1 ,10 ,11 ,20 तथा प०न० 330/363(426) के किला न० 11 ,20 ,21 व प०न० 329/363(427) के किला न० 10 से 25 , प०न० 328/363(428) के किला न० 1 से 9 ,12 से 18 ,23 ता 25 कुल 13. 5740हैक्ट मय गैर मुमकिन भूमि वादीगण की सयुक्त हिन्दु परिवार की जददी जायदाद है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बिरजूसिंह व उसके भाई सुगनसिंह के नाम से बहिव राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा बाद खाता विभाजन एवं बिरजूसिंह के देहान्त होने पर बिरजूसिंह के तीनों पुत्रों शिशपालसिंह , मदनसिंह , बलवीरसिंह के नाम से बहिव दर्ज हुई है। अर्थात विरासतन से वाद भूमि बिरजूसिंह जो वादी का दादा है के देहान्त होने पर वादीगण के पिता मदनसिंह के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है।

प्रतिवादीगण संख्या 2 जो वादीगण की बहन है जिसकी शादी हो चुकी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उनके हक हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिनों तक तो आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 603-507 में दर्ज कुल 13.5740हैक में से 1/3 हिस्सा जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार की घोषणा फरमाई जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादीगण के पिता के भाई है के विरूद्व किसी प्रकार की कोई रिलिफ नही है केवल जमाबन्दी में सयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया था को तर्क किया जाने का निवेदन करने पर तर्क किया गया। वादीगण ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादीगण को सुना गया।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 603-507 में दर्ज कुल 13.5740हैक भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बिरजूसिंह के नाम से दर्ज थी वादीगण के दादा बिरजूसिंह के देहान्त होने के बाद विरासतन से उनके तीन पुत्रों शिशपालसिंह , मदनसिंह, बलवीरसिंह के नाम विरासतन से बहिव

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात बिरजूसिंह के देहान्त होने के बाद मदनसिंह वादीगण के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 603–507 की कुल 13.5740हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो वादीगण के पिता के नाम से दर्ज में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 329/361(370) के किला न0 20 ,21 प0न0 328/361(371) के किला न0 16 ,25 प0न0 328/362(391) के किला न0 4 से 7 ,14 से 17 ,24 ,25 तथा प0न0 329/362(392) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 तथा प0न0 330/363(426) के किला न0 11 ,20 ,21 व प0न0 329/363(427) के किला न0 10 से 25 , प0न0 328/363(428) के किला न0 1 से 9 ,12 से 18 ,23 ता 25 कुल 13.5740हैक्ट मय गैर मुमकिन वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बिरजुराम के नाम से दर्ज थी जो प्रस्तुत पर्चा खतोनी चक 3 बारानी से पुर्णत्या साबित है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा बिरजूसिंह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौतों/पौतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया है

वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग/तर्क वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 329/361(370) के किला न0 20 ,21 प0न0 328/361(371) के किला न0 16 ,25 प0न0 328/362(391) के किला न0 4 से 7 ,14 से 17 ,24 ,25 तथा प0न0 329/362(392) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 तथा प0न0 330/363(426) के किला न0 11 ,20 ,21 व प0न0 329/363(427) के किला न0 10 से 25 , प0न0 328/363(428) के किला न0 1 से 9 ,12 से 18 ,23 ता 25 कुल 13.5740हैक्ट मय गैर मुमकिन भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 1.7.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सन्दीपसिह 2 रतनसिह पि0 मदनसिह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मदनसिह पुत्र बिरजुसिह जाति राजपुत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।
2. समोदकंवर पुत्री मदनसिह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर।

असल प्रतिवादीगण

3. शिशपालसिह 4 बलवीरसिह पि0 बिरजूसिह जाति राजपूत साकिन मलवाणी तहसील नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12 सन 2019 निर्णय दिनांक– 1.7.19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 329/361(370) के किला न0 20 ,21 प0न0 328/361(371) के किला न0 16 ,25 प0न0 328/362(391) के किला न0 4 से 7 ,14 से 17 ,24 ,25 तथा प0न0 329/362(392) किला न0 1 ,10 ,11 ,20 तथा प0न0 330/363(426) के किला न0 11 ,20 ,21 व प0न0 329/363(427) के किला न0 10 से 25 , प0न0 328/363(428) के किला न0 1 से 9 ,12 से 18 ,23 ता 25 कुल 13.5740हैक्ट मय गैर मुमकिन भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.7.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner